संख्याः जी–2– 127 /दस–2012

प्रेषक,

वृन्दा सरूप,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांकः 9 अप्रैल, 2012

विषयः **सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों की सामान्य भविष्य निधि पासबुक में जमा धनराशि एवं उस धनराशि के सापेक्ष कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद के लेखों में पुस्तांकित धनराशि का मिलान प्राथमिकता के आधार पर कराया जाना।**

महोदय,

राज्य कर्मचारियों/अधिकारियों के सामान्य भविष्य निधि लेखों का सही रूप से रख–रखाव सुनिश्चित करने, मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति पर सामान्य भविष्य निधि की धनराशि का समय से भुगतान करने के उद्देश्य से एवं इस संबंध में महालेखाकार को आवश्यक सहयोग प्रदान करने हेतु शासन स्तर से समय–समय पर निर्गत पार्श्वांकित शासनादेशों में निर्देश दिए गए हैं, किन्तु महालेखाकार कार्यालय द्वारा यह तथ्य शासन के संज्ञान में लाया गया है कि संदर्भगत शासनादेशों में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की ओर संबंधित आहरण–वितरण अधिकारी एवं विभागाध्यक्ष द्वारा गम्भीरतापूर्वक ध्यान नहीं दिया जा रहा है। फलस्वरूप सेवानिवृत्ति के समय संबंधित कर्मचारी/अधिकारी के सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा 90 प्रतिशत धनराशि एवं 10 प्रतिशत धनराशि का अन्तिम भुगतान किए जाने में अनावश्यक एवं अत्यधिक विलम्ब हो रहा है, जिसके कारण देय धनराशि पर ब्याज का भार भी वहन करना पड़ रहा है। पार्श्वांकित शासनादेशों का अनुपालन न किए जाने के कारण महालेखाकार को प्रेषित सामान्य भविष्य निधि के अंतिम अवशेष के अनेकानेक प्रकरणों में

1–संख्या जी–2–463/दस–2005–311/2005, दि0 15–3–2005
2–संख्या जी–2–205/दस–2006, दि0 23–2–2006
3–संख्या जी–2–262/दस–2007–311/2005, दि0 29–5–2007
4–संख्या जी–2–1599/दस–2008–311/2005, दि0 23–9–05
5–संख्या जी–2–1146/दस–2009–311–2005, दि0 07–9–09

–2–

ऋणात्मक भुगतान की स्थिति भी परिलक्षित हुयी है।

2– उपर्युक्त वर्णित समस्त तथ्यों को संज्ञान में लाते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभाग में लेखों का शत–प्रतिशत मिलान न करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के लिए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाय एवं उपरोक्त शासनादेशों में उल्लिखित दिशा–निर्देशों का भविष्य में कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इस संबंध में विभागाध्यक्ष स्तर पर ऐसे प्रकरणों की समीक्षा की भी समुचित व्यवस्था की जाय एवं किसी प्रकार की शिथिलता बरतने की स्थिति में संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी का दायित्व भी निर्धारित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

भवदीया,

( वृन्दा सरूप )
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्या जी–2– 127 (1)/दस–2012, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव।
3– प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4– सचिवालय के समस्त अनुभाग।
5– निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ।

आज्ञा से,

( बी0के0 सिंह )
विशेष सचिव